

आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलेक्टर (आ.प्र.एवं सहा. एवं नागरिक सुरक्षा), पाली

क्रमिक: 9342

प्रशासनिक स्वीकृति नंबर: AS/OREL/PAL/0005028

दिनांक: 16/09/2022

प्रशासनिक स्वीकृति

तहसीलदार की अभिशोषा सहित प्राप्त निम्न आकाशीय बिजली के प्रकरणों में आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर की पालना में एवं भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आपदा प्रबंधन अनुभाग के पत्रांक 32-7/2014 NDM-1 दिनांक 08.04.2015 अवधि 2015-2020 में राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के अंतर्गत दिए गए प्रावधान अनुसार आकाशीय बिजली से पीड़ितों को उनके नाम के सम्मुख अंकित राशि के अनुसार आर्थिक सहायता के रूप में भुगतान करने की प्रशासनिक स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	आवेदन संख्या	पीड़ित का विवरण	आपदा का क्षेत्र	आपदा की दिनांक	क्षति का प्रकार	क्षति का विवरण	देय सहायता राशि
1	AR/PAL/2 022/02476 4	नाम: Amar Singhपिता का नाम: Bhik Singhजिला: पाली	1. सारण, मारवाड़ जंक्शन, पंचायत समिति -मारवाड़ जंक्शन, ग्राम पंचायत -सारण, गाँव - सारण	24/11/2021	आकाशीय बिजली	आकाशीय बिजली गिरने से मृत्यु (as proposed by ADM)	400000
योग							400000

इस राशि का व्यय निम्न बजट मद से किया जायेगा :- 2245-01-800-(03)-[02]-12


जिला कलेक्टर
(आ.प्र.एवं सहा. एवं नागरिक सुरक्षा)
पाली

आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

राजस्थान सरकार

प्रतिलिपि -निम्नान्कितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. शासन सचिव आपदा प्रबंधन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राजस्थान जयपुर।
2. संभागीय आयुक्त,.....
3. जिला कलेक्टर, पाली।
4. उपखंड अधिकारी
5. तहसीलदार
6. जिलासूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी, पाली।
7. रोकड़पाल (सहायता शाखा) कार्यालय हाजा

प्रभारी अधिकारी
(आ.प्र.एवं सहा. एवं नागरिक सुरक्षा)
पाली